



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 (पौष 1, शक संवत् 1944)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय घोषणा

मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 की सदन की कार्यवाही के अनुसार अभी तक 12 घण्टे 12 मिनट से अधिक चर्चा हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 45 सदस्यों द्वारा विस्तार से अपनी बात मध्यरात्रि 12.37 बजे तक कार्यवाही में रखी जा चुकी है।

इस चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित 30 कांग्रेस एवं 1 बसपा सहित कुल 31 विपक्ष के सदस्यगण और शासन पक्ष की ओर से 8 मंत्रीगण एवं 6 भाजपा सदस्यगण सहित कुल 45 सदस्यगण द्वारा भाग लिया गया है। अब इस चर्चा का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा।

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा मांग की गई कि कल इस चर्चा के दौरान देवी-देवताओं के विषय में गलत कथन किया गया था उसके लिए सत्तापक्ष को माँगनी चाहिए। डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य द्वारा स्थिति स्पष्ट कर खेद प्रकट किया गया।

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के क्रम में श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारम्भ किया।

2. अध्यक्षीय घोषणा

सदन की मान्य संसदीय परम्परा एवं शिष्टाचार का पालन किया जाना

सदन की कार्यवाही में व्यवधान होने पर अध्यक्ष महोदय ने सार्थक चर्चा की दृष्टि से यह घोषणा की कि - “सदन की मान्य संसदीय परम्परा एवं संसदीय शिष्टाचार यह है कि सदन के नेता बोल रहे हों तो कोई सदस्य खड़ा नहीं होगा, परंतु यदि कोई सदस्य भाषण के संबंध में कोई जानकारी चाहता है या हस्तक्षेप करना चाहता है तो माननीय सदन के नेता के बैठने पर ही आसंदी की अनुमति से ऐसा कर सकेगा। यदि सदन के नेता अपने स्थान पर न बैठें तो वह सदस्य वापस अपनी सीट पर बैठ जाएगा और कोई व्यवधान नहीं करेगा। सदन की गरिमा और सार्थक चर्चा के लिए माननीय सदस्य इस संसदीय शिष्टाचार का पालन करेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है”।

3. मंत्रि-परिषद् के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री का उत्तर पूर्ण होने के बाद आसंदी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया।

ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

4. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने संबंधी : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह सूचित किया कि - “विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त वित्तीय एवं अन्य आवश्यक शासकीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अतः मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. राष्ट्रगान

'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

6. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 1.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 22 दिसम्बर, 2022.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.